न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–197/2025

नबी हसन...वादी

बनाम

शेख अब्दुल मनान एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.02.2026	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.02.2026 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी नबी हसन की मृत्यु दिनांक 15.01.2026 हो चुका है। मृतक वादी अपने पिछे विधिक वारिसान के रूप में अपनी पत्नी मु0 हदीश बॉदी चार पुत्र मो0 इस्तयाक अहमद, मो0 इम्तेयाज आलम, सद्दाम हुसैन वो अमजद हुसैन एवं दो पुत्रियां बीबी रेहाना खातून और साजदा खातून को छोड़कर मरे है। मृतक वादी नबी हसन के मरने के बाद उनके वारिसान उनके साख का प्रतिनिधित्व करते है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक वादी नबी हसन के नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का कृपा किया जाए। इस वाद में प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी नबी हसन की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक के मरने के बाद उनके साख का प्रतिनिधित्व उनके वारिसान करते है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च	

<u>**न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज**</u>
<u>**स्वत्व वाद सं0–197/2025**</u>

नबी हसन...वादी

बनाम

शेख अब्दुल मनान एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 12.02.2026	न्यायालय के नियमन K. Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.02.2026 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार वादी नबी हसन का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 24.02.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	